



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक-द्वितीय तल) 59-अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

क्रमांक 11373 / NR-6 / सा.अंके / 2012

भोपाल, दिनांक 6 / 12 / 2012

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत-..... (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय :- भौतिक सत्यापनकर्ताओं को ग्राम आवंटन बाबत।

संदर्भ:- अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन का पूर्व पत्र क्र. 10489 दिनांक 12.11.2012.

—0—

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यों का भौतिक सत्यापन हेतु संलग्न कार्यकर्ताओं को ग्राम आवंटन के समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जावे :-

1. भौतिक सत्यापनकर्ताओं को **ग्राम आवंटन पत्र** जारी किया जावे, ताकि सत्यापन के समय ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव से आवश्यक सहयोग प्राप्त हो सके। (आवंटन पत्र प्रारूप संलग्न)
2. भौतिक सत्यापनकर्ता को उसके गृह ग्राम/पंचायत आवंटित न किया जा कर समीपस्थ पंचायत का **ग्राम आवंटित किया जावे**। तदाशय का **घोषणा पत्र** भौतिक सत्यापनकर्ता से अनिवार्यतः प्राप्त कर लेवें। (घोषणा पत्र प्रारूप संलग्न)
3. कार्य की पूर्णता के लिये निर्धारित समयावधि अधिकतम 07 से 10 दिवस सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(डॉ. अभय पाण्डेय) 6/12/12

संचालक,
सामाजिक अंकेक्षण
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 / 12 / 2012

पृ.क्र. 11374 / NR-6 / सा.अंके / 2012

प्रतिलिपि :-

1. संभागायुक्त (समस्त) म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला (समस्त) म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (समस्त) म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय उपायुक्त (विकास) (समस्त) म.प्र. की ओर सम्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
5. निदेशक परियोजना, जन अभियान परिषद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।


संचालक,
सामाजिक अंकेक्षण 6/12/12
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल

भौतिक सत्यापनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जावे

घोषणा -पत्र

मैं पिता निवासी ग्राम पंचायत
एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं भौतिक सत्यापन हेतु आवंटित ग्राम पंचायत
का मूल निवासी नहीं हूं।

स्थान :-.....

दिनांक :-.....

हस्ताक्षर

नाम :-

मोबाइल नं.....

पता :-

खाता क्र.-.....

शाखा -.....

कार्यालय जनपद पंचायत-..... जिला -

प्रति,

.....
.....
.....

विषय :- भौतिक सत्यापन हेतु ग्राम आवंटन।

—0—

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनान्तर्गत किये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन हेतु आपको ग्राम पंचायत के ग्राम का दायित्व सौंपा जाता है। दिनांक तक सत्यापन कार्य पूर्ण कर अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जनपद पंचायत

जिला

प्रतिलिपि :-

1. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत की ओर पूर्ण सहयोग हेतु सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जनपद पंचायत